बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा – 2229

एस0 ओ0: 14/डी॰ए॰ल॰ए॰ २०१३॰ (पुनर्वास) – 40/13/रा0, दिनांक – 12 – 09 – 13

चूँकि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–**तेमथा करारी**, थाना नं0–**382** परगना–**फरकिया**, थाना–**परवत्ता**, जिला–**खगड़िया** में मौजा–**तेमथा करारी**, थाना नं0–**382**, **सिराजपुर ग्राम पूर्वी टोला 2 असमर्थ परिवारों को पुर्नवास हेतु भू–अर्जन परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर** सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के पूर्व पूर्वोक्त ग्राम–**तेमथा करारी**, थाना नं0–**382** के भीतर कमोवेश बीघाxकट्ठाxछटांकxधूर का, जो मानक माप से 0.08 एकड़ के बराबर होता है। एक भूखण्ड अपेक्षित है। जिसमें 0.08 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है एवं x एकड़ बंजर भूमि है। जिसका खेसरा सं0–684 एवं 686 का अंश है।

इस भूखण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है।

भूखण्ड'क'

उत्तर	–	सर्वे खेसरा सं0–686 का अंश।
दक्षिण	–	सर्वे खेसरा सं0–684 का अंश।
पूरब	–	सर्वे खेसरा सं0–684 का अंश एवं 686 का अंश।
पश्चिम	–	सर्वे खेसरा सं0–684 का अंश तथा 685 का अंश

भूखण्ड 'ख'

उत्तर	–	सर्वे खेसरा सं0–684 का अंश।
दक्षिण	–	सर्वे खेसरा नं0–684 का अंश।
पूरब	–	सर्वे खेसरा सं0–684 का अंश।
पश्चिम	–	सर्वे खेसरा सं0–684 का अंश।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खनन की आवश्यकता नही है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिसे कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है। उनके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपयोग में लाना हो ले लिये जायेगें।

यह घोषणा अधिनियम 1 1894 की धारा 6 तथा भूमि अर्जन (बिहार संशोधन अधिनियम 1960 बिहार अधिनियम 11 1961) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भूमि–अर्जन पदाधिकारी खगड़िया के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 12-9-13 ह0 ह0 12/9/13 ह0

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया।	अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।	समाहर्त्ता, खगड़िया।	सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 2229 /रा0, दिनांक – 12 – 09 – 13

प्रतिलिपिः– 1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा हो, प्रकाशानार्थ एवं प्रकाशित संस्करण प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 2. प्रभारी उपसमाहर्त्ता जिला गजट खगड़िया को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पॉच–पॉच प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 11/9/13

सरकार के अवर सचिव